विभाग का नाम :– **शिक्षा विभाग**

विभाग का पता :– पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054

अतारांकित प्रश्न संख्या :– **09**

दिनांक :– 08/08/2017

प्रश्नकर्त्ता का नाम :– **श्री पंकज पुष्कर**

क्या उपमुख्यमंत्री/ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| (क) क्या दिल्ली सरकार के अन्तर्गत विद्यालयों में सेवारत टी.जी.टी. की अपने विषय (यथा गणित, विज्ञान या अंग्रेजी) के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में पी. जी. टी. के लिए पदोन्नति की स्थिति में किसी लिखित परीक्षा का प्रावधान है; | जी नहीं । |
| (ख) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के अन्तर्गत विद्यालयों में सेवारत टी.जी.टी अपने विषय (यथा गणित, विज्ञान या अंग्रेजी) के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ले लेने की स्थिति में उस अन्य विषय में पी. जी. टी. के लिए अर्ह मान लिया जाता है; | जी हाँ, |
| (ग) क्या पदोन्नति की इस व्यवस्था के छात्रों और शिक्षा के स्तर पर शिक्षाशास्त्रीय (Pedagogical) दृष्टि से पढ़ने वाले प्रभाव का आकलन किया गया है; | जी नहीं । पदोन्नति की प्रकिया 1975 के दिल्ली गजट रिक्रूटमेंट रूल्स के अनुसार की जाती है । |
| (घ) क्या यह भी सत्य है कि टी. जी. टी. और पी. जी. टी. के सीधे चयन की प्रकिया में उनके विषय में ज्ञान और शिक्षण कौशल की लिखित परीक्षा होती है; | जी हाँ, होती हैं । |
| ड.) यदि हां, तो टी.जी.टी. (प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक) के अपने विषय (यथा गणित, विज्ञान या अंग्रेजी) के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में पी जी टी पदोन्नति होने की स्थिति में विषय के ज्ञान और पी.जी.टी. वाले विषय में शिक्षण कौशल को सुनिश्चित करने के लिये लिखित परीक्षा का प्रावधान क्यूं नहीं है; और | वर्तमान भर्ती नियमों में पदोन्नति के समय लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं है । विभाग पी.जी.टी. की पदोन्नतियाँ 1975 के भर्ती नियमों (रिक्रूटमेंट रूल्स) के अनुरूप करता है । इन नियमों में पदोन्नति के समय लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं है । |
| (च) क्या किसी दूसरे विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेकर पी.जी.टी. बनने की यह सुविधा हिंदी और संस्कृत के टी.जी.टी. को भी उपलब्ध है, | जी नहीं । |
| छ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ? | अन्य विषयों के वर्तमान भर्ती नियमों में इस प्रकार का प्रावधान नहीं है । |